[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 27/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
	17-7-19	वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित ... आज्ञा के अनुसार काम है। पत्रावली आ. न्यायादेश की पालना में दिनांक 2-8-19 को पेश हो।	
	2-8-19	उभय पक्ष [illegible]/अभिभाषक संघ ने न्यायिक [illegible] मित रखा, P.O. साहब अ[illegible] कार्य MT ....हैं। पत्रावली [illegible]ानुसार दि. 21-8-19 को पेश हो। (रीडर)	
	21-8-19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की ~~बहस~~ बहस सुनी गयी तथा तहसीलदार शाहपुरा के जवाब का मनन किया गया। बाद मनन डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 27/2018

उनवान

ओमप्रकाश दत्तक पुत्र चौथू जाति कुम्हार निवासी बिशनगढ़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर
प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राजात् अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांक: 21.08.2019

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। वादी के द्वारा वादपत्र पेश किया गया है कि खाता सं. 141 में दर्ज खसरा नम्बर 488 रकबा 0.32 है0 जिसके साबिक ख.नं. 924 मिन 954 मिन 955 मिन से तथा खाता सं. 142 में दर्ज ख.नं. 515 रकबा 0.20 है0, ख.नं. 518 रकबा 0.59 है0 ख.नं. 522/3887 रकबा 0.10 है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 952 मिन 930 मिन से बने है जो कि ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा की वादी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि स्थित है तथा कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक करता आ रहा है।

वादी के दत्तक पिता स्व. चौथू पुत्र भगवाना का स्वर्गवास दिनांक 7.8.2012 को हो चुका है। वादी द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज भूमि का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने के नाम राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वादी के दादा भगवाना पुत्र रामबक्स का फौती नामान्तकरण समय भगवाना के नाम दर्ज आराजीयात में त्रुटिवश/सहवन से भगवाना दत्तक पुत्र चौथू अर्थात् वादी के दत्तक पिता के पिता का नाम भगवाना दर्ज न करके रामबक्स दर्ज कर दिया गया जो कि वादी के पिता का नाम ना होकर दादा का नाम था अर्थात् भगवाना के नाम दर्ज रही खातेदारी में वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय चौथू पुत्र भगवाना के स्थान पर सहवन से चौथू पुत्र रामबक्स कुम्हार दर्ज हो गया इस प्रकार प्रार्थी/ वादी का नाम रामबक्स के स्थान पर पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार भगवाना करने हेतु दुरूस्ती का प्रा0पत्र पेश करने पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस जवाब दावा पेश करने का उचित अवसर दिया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शाहपुरा की ओर से जवाब दावा पेश किया गया कि विवादित आराजी वर्तमान में चौथू पुत्र रामबक्स जाति कुम्हार के नाम दर्ज है तथा नामान्तकरण सं. 517 जो कि भगवाना पुत्र रामबक्स की मृत्यु पर दर्ज किया गया नामान्तकरण भगवाना के कोई सन्तान नहीं होने पद गोद के लड़के चौथूराम के दर्ज किया गया है जिससे चौथूराम पि0मु0 भगवाना के स्थान पर चौथूराम पि0मु0 रामबक्स दर्ज कर दिया गया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के साथ सलंग्न पेश शुदा रिकार्ड का अवलोकन कराते हुए जाहिर किया कि साबिक रिकार्ड में खातेदार भगवाना पुत्र रामबक्स बिना संतान के फौत हुआ था तथा उसने वादी को गोद लिया था। भगवाना की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय सहवन से वादी के पिता का नाम भगवाना के स्थान पर रामबक्स दर्ज कर दिया गया।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी के नाम हाल ख.नं. 488 जो कि साबिक ख.नं. 955, 954, 924 मि0 से बने है तथा हाल ख.नं. 515, 518, 522/3887 जो कि साबिक ख.नं. 952, 930, 952 मि0 से बने है जो कि वर्तमान में चौथू पि0मु0 रामबक्स कौम कुम्हार के नाम खातेदारी में दर्ज है। साबिक रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त विवादित आराजी भगवाना पि0 रामबक्स के नाम दर्ज रही है। विरासत का नामान्तकरण खोलते समय चौथूराम पि0मु0 भगवाना के स्थान पर वादी के दादा का नाम सहवन से चौथूराम पि0मु0 रामबक्स दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तव में चौथूराम पि0मु0 भगवाना होना चाहिए था। संलग्न नामान्तकरण 517 का अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विरासत में खातेदार भगवाना पुत्र रामबक्स के नाम दर्ज भूमि का चौथूराम पि0मु0 रामबक्स किया गया है अर्थात् वादी के दादा के नाम सहवन से भगवाना के स्थान पर रामबक्स दर्ज गया है। इसी प्रकार वादी के पिता का नाम दर्ज अन्य भूमि खाता सं. 590, 208, 133 में चौथू पुत्र

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है कि खाता सं. 142 में दर्ज आराजी ख.नं. 515 रकबा 0.20 है0, ख.नं. 518 रकबा 0.59 है0 ख.नं. 522/3887 रकबा 0.10 है0 तथा खाता सं. 141 में दर्ज ख.नं. 488 रकबा 0.32 है भूमि में दर्ज खातेदार चौथू पि0मु0 रामबक्स कौम कुम्हार सा.देह के स्थान पर चौथू पि0मु0 भगवाना कौम कुम्हार सा. बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 27/2018

उनवान

ओमप्रकाश दत्तक पुत्र चौथू जाति कुम्हार निवासी बिशनगढ़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राजात् अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांक: 21.08.2019

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है कि खाता सं. 142 में दर्ज आराजी ख.नं. 515 रकबा 0.20 है0, ख.नं. 518 रकबा 0.59 है0 ख.नं. 522/3887 रकबा 0.10 है0 तथा खाता सं. 141 में दर्ज ख.नं. 488 रकबा 0.32 है भूमि में दर्ज खातेदार चौथू पि0मु0 रामबक्स कौम कुम्हार सा.देह के स्थान पर चौथू पि0मु0 भगवाना कौम कुम्हार सा. बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हों । दावा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	